राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2012 से 3/2016 के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मलित पैरों/आपत्तियों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही की सत्यापना करने पर पाया गया कि अधिकांश अंकेक्षण आपत्तियां दीर्घकाल से निपटारे हेतु शेष पड़ी हुई हैं, जिनके निपटारे हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि लम्बित पैरों के निपटारे हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। वर्तमान अंकेक्षण के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **''परिशिष्ट–A''** पर संलग्न है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला के अवधि 4/2012 से 3/2016 के निधि लेखों का अंकेक्षण श्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रक, श्री अनिल कुमार मेहरा, अनुभाग अधिकारी तथा श्री ललित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 8.6.2016 से 2.7.2016 तक किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 6/2012, 6/2013, 6/2014, 6/2015 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 6/2012, 12/2013, 9/2014, 3/2016 चयनित किए गए।

यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने की स्थिति में किसी भी प्रकार से उतरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

संस्था के अवधि 4/2012 से 3/2016 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹32,000 बनता है। अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 6, दिनांक 28.6.2016 जारी करके अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करने हेतु प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति

राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय की लेखावधि 4/2012 से 3/2016 तक छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है। संस्था की माहवार, निधिवार स्थिति का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–''1–क''** में भी दिया गया हैः–

Year wise financial position of student funds for the period 2012-13 to 2015-16

Year	OB as per Cash Book	FDR Balance	Total OB	Receipt	Interest on FDRs	Total Receipt	Total	Expendi-ture	Closing Balance
2012-13	12429359	13065866	25495225	6136099	22094	6158193	31653418	9429428	22223990
2013-14			22223990	7531194	95759	7626953	29850943	8512921	21338022
2014-15			21338022	11309427	0	11309427	32647449	8584175	24063274
2015-16			24063274	8943178	7346489	16289667	40352941	7275138	33077803

Detail of deposit as per cash book

(1) Bank Balance as per Cash Book		5265448
(2) Amount invested in FDR"s		27812355
	Total	**33077803**
Difference		**Nil**

Detail of deposit in bank

(1) Actual bank balance as per pass book A/c Nol. 8810 in Indian Overseas Bank		6263652
(2) Investment in FDR in Indian Overseas bank, as per **Annexure- 1(क,1)**		27812355
	Total	**34076007**

Difference in balance as per cash book and balance as per pass book i.e.

6263652-5265448=998204

Bank reconciliation for ₹998204 is detailed below

Bank reconciliation for ₹998204 is detailed below (for detail see Annexure 1(क)(2)
Bank Reconcilation upto 31st March, 2016

	Particulars	Amount
31-3-2016	**Balance as per Cash Book**	**5265448**
(i) Add:	Cheque issued but not cleared upto 31.3.2016 (cleared during 4/2016)	109816
(ii) Add:	Balance of PTA/Library/Govt. Fee deposited but not transferred to concerned funds (892955+1350)(Fund Transfer to concerned heads during 4/2016)	894305
(iii) Add:	Previous Balance Lib/PTA/(1100+3800)(Funds Transfer to concerned heads during 4/2016)	4900
(iv) Less:	Excess withdrawl for fees from bank account (Adjusted during 4/2016)	1350
(v) Less:	Previous Balance Govt. Fee (transfer during 4/2016)	25
(vi) Less:	Wrong Entry (carry forward from previous years)	1600
(vii) Less:	Bank Charges (Matter under consideration)	5831
(viii) Less:	Less Deposit Given by the Bank (Matter under consideration with the bank)	2012
	Balance as per saving Bank Pass Book	**6263651**

उपरोक्त बैंक समाधान विवरणी में दर्शाई गई ₹9,98,203 में से क्रम संख्याः (vi)(vii) तथा (viii) पर वांछित असमायोजित माईनस राशियों ₹1600+5831+2012 का समाधान अंकेक्षण के दौरान नहीं किया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि इन राशियों का भी समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) छात्रावास की वित्तीय स्थिति

राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय की लेखावधि 4/2012 से 3/2016 तक की छात्रावास की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी। संस्था के छात्रावास की माहवार, निधिवार स्थिति व अन्तशेष का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–"1(ख)"** में दिया गया है।

Year wise financial position of Hostel Fund for the period 2012-13 to 2015-16

Year	OB as per Cash book	FDR Balance	Total OB	Receipt	Total	Expenditure	Clossing Balance
2012-13	270601	0	270601	921780	1192381	542860	649521
2013-14			649521	1417209	2066730	739331	1327399
2014-15			1327399	1588636	2916035	856471	2059564
2015-16			2059564	2800261	4859825	1035403	3824422

Detail of deposit as per cash book

1) Saving Bank balance as per cash book	1424422
2) Amount invested in FDR"s	2400000
Total	**3824422**
Diffrence	**Nil**

Detail of deposit in Bank

1) Actual bank balance as per pass book A/c No. 30106 in Indian Overseas bank	1424421.78
2) investment in FDR in Indian Overseas bank, as per **Annexure 1(ख)(1)**	2400000
Total	**3824421.78**

इस प्रकार से वित्तीय स्थिति के अनुसार 31.3.2016 तक छात्रावास निधि में ₹38,24,422 अन्तिम शेष था व इतनी ही राशि निधि की रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2016 को शेष पाई गई। इस प्रकार से दिनांक 31.3.2016 को रोकड़बही अनुसार शेष वित्तीय स्थिति व बैंक जमा में कोई अन्तर नहीं था।

(ग) पुस्तकालय निधि की वित्तीय स्थिति

राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय की लेखावधि 4/2012 से 3/2016 तक की पुस्तकालय की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

Year wise financial position of Hostel Fund for the period 2012-13 to 2015-16

Year	OB as per Cash book	FDR Balance	Total OB	Receipt	Interest on FDR"s	Total	Expenditure	Clossing Balance
2012-13	766400	1435155	2201555	147332		2348887	8676	2340211
2013-14			2340211	4431		2344642	0	2344642
2014-15			2344642	4990		2349632	0	2349632

2015-16	2349632	5232	818141	3173005	0	**3173005**

Detail of deposit as per cash book

1) Saving Bank balance as per cash book		119709.60
2) Amount invested in FDR"s		3053296.00
	Total	**3173005.60**
	Diffrence	**Nil**

Detail of deposit in Bank

1) Actual bank balance as per pass book A/c No. 30106 in Indian Overseas bank	119709.60
2) investment in FDR in Indian Overseas bank, as per **Annexure 1(ग)**	3053296.00
Total	**3173005.60**

इस प्रकार से वित्तीय स्थिति अनुसार 31.3.2016 तक छात्रावास निधि में ₹31,73,005 अन्तिम शेष था व इतनी ही राशि निधि की रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2016 को शेष पाई गई। इस प्रकार से दिनांक 31.3.2016 को रोकड़बही अनुसार शेष, वित्तीय स्थिति व बैंक जमा में कोई अन्तर नही था।

5 सावधि जमा/निवेश

संस्था के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि छात्र निधियों से दिनांक 31.3.2016 तक ₹2,78,12,355 सावधि जमा योजना में जमा थी जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–"1(क)(1)"** में दिया गया है।

6 सावधि जमा निवेश पर ₹48,723 के ब्याज की कम प्राप्ति करना

कॉलेज के एफ0डी0आर रजिस्टर व सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल में पाया गया कि निम्नलिखित सावधि निवेश पर ब्याज की ₹48,723 की कम प्राप्ति की गई प्रतीत होती है।

Sr. No.	Name of Fund	Name of Bank	FDR A/c No.	Date of investment	Invested value (₹)	Date of renewal as per FDR register	Maturity value given by bank	Actual maturity value which is required to be given	Loss of interest
1	A.F	Indian overses bank	849404	9-5-12	500000	16-1-13	526984	527761	777
	-do-	-do-	-do-	16-1-13	526984	4-4-14	576038	586302	10264
2	AF	-do-	849403	9-5-12	500000	16-1-13	526984	527761	777
	-do-	-do-	-do-	16-1-13	526984	4-4-14	576038	586302	10264
3	AF	-do-	8239994	2-5-12	3200000	13-6-15	3222094	3237304	15210
4	AF	-do-	849941	26-9-14	3279250	16-10-15	3602171	3613602	11431
								Total	**48723**

उपरोक्त प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थाध्यक्ष को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 5/2016 दिनांक 28.6.2016 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे सूचित किया गया था तथा उक्त अंकेक्षण अधियाचना के सन्दर्भ में संस्थाध्यक्ष

द्वारा चर्चा में अवगत करवाया गया कि कम ब्याज की प्राप्ति का मामला बैंक में उठाया गया है। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बही में पाई गई त्रुटियों के बारे में

छात्र निधियों की विभिन्न रोकड़ बहियों की जाँच पड़ताल में निम्न त्रुटियाँ पाई गई, जिनमें अविलम्ब सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) सावधि जमा में निवेश की गई राशि को रोकड़ बही में न दर्शाया जाना

दिनांक 1.4.2013 को सावधि में निवेशित राशि व उस के बाद समय–समय पर सावधि में निवेशित राशियों को रोकड़ बही के बैंक शेष में नहीं दर्शाया जा रहा था। अतः सुझाव दिया जाता है कि निवेशित राशि को बैंक शेष में अन्तिम (Closing) शेष के रूप में दर्शाया जाए ताकि रोकड़ बही में निधियेां की राशि तथा बैंक में जमा राशि की सही स्थिति प्रस्तुत हो सके।

(ख) निवेशित राशि पर प्राप्त ब्याज को रोकड़ बही में न दर्शाया जाना

संस्था द्वारा सावधि जमा योजना मे निवेशित राशि पर दिनांक 1.4.2012 से दिनांक 31.3.2016 तक प्राप्त किए गए ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया था। तत्पश्चात अवधि 1.4.2012 से 31.3.2016 तक प्राप्त किए गए ब्याज को एक मुश्त दिनांक 31.3.2016 को लेखांकित किया गया। लेखा नियमानुसार जिस दिन/दिनांक को ब्याज की प्राप्ति होती है उसी दिन रोकड़ बही में ब्याज को लेखांकित किया जाना अपेक्षित है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में रोकड़ बही में ब्याज का लेखांकन उसी दिन किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस दिन बैंक से ब्याज की प्राप्ति होती है।

(ग) विश्वविद्यालय निधि लेखों का शेष (Minus) में दर्शाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में विश्वविद्यालय निधि का शेष (–) माईनस में दर्शाया गया था जोकि लेखा नियमों के विपरीत है। इस सन्दर्भ में चर्चा में अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय निधि से सम्बन्धित राशियों को गलती से मिश्रित निधि में जमा किया गया था जिस कारण विश्वविद्यालय निधि का शेष (–) माईनस में आ गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि यदि विश्वविद्यालय निधि से सम्बन्धित राशि को मिश्रित निधि में जमा किया गया है तो इस राशि की गणना करके इस का लेखांकन विश्वविद्यालय निधि में किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 बैंक द्वारा ₹1699 का कम जमा किया जाना

छात्र निधियों की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई गई रसीदों व संग्रह रजिस्टर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 27.6.2014 को बैंक द्वारा छात्राओं से वास्तव में ₹1,78,275 प्राप्त की गई थी तथा संस्था द्वारा रोकड़ बही में भी इतनी ही राशि जमा दर्शाई गई थी, जबकि बैंक विवरणी के अनुसार इण्डियन ओवरसीज़ के

बैंक खाता संख्याः 8810 में दिनांक 27.6.2014 को ₹1,76,576 जमा की गई दर्शाई गई है। इस प्रकार संस्था के बैंक खाते में ₹1699 कम जमा की गई है, जोकि महाविद्यालय द्वारा बैंक समाधान विवरणी में भी दर्शाई गई है। अतः बैंक से क्रैडिट लेने हेतु यह मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि को अनियमित रूप से मिश्रित निधि में ही रखा जाना

पुस्तकालय प्रतिभूति राशि से सम्बन्धित लेखों के सन्दर्भ में निम्न त्रुटियाँ पाई गईः–

(क) वर्ष 2012–13 से 2015–16 में पुस्तकालय प्रतिभूति के रूप में निम्न विवरणानुसार राशि प्राप्त की गई थी जोकि मिश्रित निधि में ही रखी गई थी, जोकि नियमानुसार उचित नहीं है क्योंकि यह राशि पुस्तकालचय प्रतिभूति निधि में जमा की जानी अपेक्षित थी।

क्रम संख्या	सत्र/वर्ष	पुस्तकालय प्रतिभूति में प्राप्त राशि
1	2012–13	1,16,000
2	2013–14	1,40,550
3	2014–15	1,38,300
4	2015–16	1,27,600
	कुल प्राप्ति	**5,22,450**

अतः उपरोक्त राशि को मिश्रित निधि में रखे जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पुस्तकालय प्रतिभूति में प्राप्त राशि को सम्बन्धित निधि में ही रखा जाए।

(ख) वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक पुस्तकालय प्रतिभूति निधि के रूप में ₹5,22,450 की प्राप्ति की गई थी। इस राशि में से केवल ₹1,14,800 ही वर्श 2012–13 के दौरान सम्बन्धित निधि में हस्तांतरित की गई है तथा दिनांक 31.3.2016 तक शेष ₹4,07,650 मिश्रित निधि में ही रखी गई थी। चर्चा के दौरान बताया गया कि शेष राशि में से ₹600 छात्राओं को वापिस की गई थी तथा वास्तव में शेष राशि ₹4,07,050 दिनांक 8.4.2016 को पुस्तकालय निधि में हस्तांतरित की गई थी, जबकि तीन वर्षों में उक्त राशि पर अर्जित ब्याज को मिश्रित निधि में ही रखा गया था। जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। अतः उक्त राशि पर अर्जित ब्याज को पुस्तकालय निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिसे निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्र संख्याः ईडीएन–एच(8)बी(4)28/08–बजट/लाईब्रेरी दिनांक 26.3.2009 में दिए गए निर्देशों के अनुसार book binding, पुस्तकों की खरीद हेतु, मैगज़ीन, समाचार पत्रों इत्यादि हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

(ग) निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्र संख्याः ईडीएन–एच(8)बी(4)28/08–बजट/लाईब्रेरी दिनांक 26.3.2009 में दिए निर्देशों अनुसार, जो छात्र संस्था छोड़ने के दो वर्षों तक प्रतिभूति राशि वापिस प्राप्त नहीं करता है ऐसी राशि स्वयं ही जब्त मान ली जाएगी और इस राशि को अलग से रोकड़ बही में रखकर, उसका उपयोग पुस्तकालय के लिए ही किया जा सकता है जबकि संस्था द्वारा इन निर्देशों के अनुसार कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि जब्त प्रतिभूति राशि का उपयोग उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशों अनुसार समिति बनाकर पुस्तकालय के विकास के लिए उपयोग की जाए।

10 अनियमित प्राप्तियाँ

(क) अध्यापक अभिभावक संघ निधि के रूप में छात्राओं से ₹26,87,540 की अनियमित प्राप्ति करना

अंकेक्षण में पाया गया कि छात्र निधियों में अध्यापक अभिभावक संघ निधि (Parent teachers association fund) के नाम से प्रति वर्ष ₹200 प्रति छात्रा की दर से प्राप्ति/वसूली की जा रही थी तथा इस राशि को मिश्रित निधि में ही जमा किया जा रहा था तथा वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक ₹26,87,540 रोकड़ बही में अध्यापक अभिभावक संघ निधि के रूप में अनियमित रूप से वसूल किए गए थे, जिस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश व सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों में इस प्रकार की कोई निधि प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा अपने स्तर पर ही इस प्रकार की निधि की वसूली की जा रही थी जोकि पूर्णतया अनियमित है। इसके अतिरिक्त संस्था को सुझाव दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश व सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों अनुसार ही निधियों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) रेड क्रॉस निधि के रूप में छात्राओं से ₹1,32,565 की अनियमित वसूली

अंकेक्षण में पाया गया कि छात्र निधियों की प्राप्ति में रेड क्रॉस निधि के नाम से प्रति वर्ष ₹10 प्रति छात्र प्राप्ति/वसूली की जा रही थी तथा इस राशि को मिश्रित निधि में ही जमा किया जा रहा था, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश व सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों में इस प्रकार की कोई निधि प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा अपने स्तर पर ही इस प्रकार की निधि की वसूली की जा रही थी जो पूर्णतया अनियमित है वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक ₹1,32,565 रोकड़ बही में रेड क्रॉस निधि के रूप में अनियमित रूप से वसूल किए गए थे जिस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त संस्था को सुझाव दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश व सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों अनुसार ही निधियों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 विश्वविद्यालय चार्जिज के लेखों में अनेक वर्षों से संकलित राशियों के रूप में दिनांक 31.3.2016 तक ₹38,43,447 का निपटारे हेतु शेष पाया जाना

विश्वविद्यालय चर्जिज की लेखा/रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि इस खाते में दिनांक 31. 3.2016 को ₹38,43,447 शेष थी। यह राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय चर्जिज के रूप में अनेक वर्षों से संकलित हुई थी। जाँच करने पर पाया कि महाविद्यालय द्वारा दिए गए प्रवेश के आधार पर प्रत्येक छात्रा से विश्वविद्यालय चर्जिज की प्राप्ति निर्धारित दरों से की गई थी। इस सन्दर्भ में चर्चा में बताया कि ₹30,84,120 चैक संख्याः 305961 दिनांक 8.4.2016 द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी गई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि शेष राशि की अदायगी भी विश्वविद्यालय को की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 निधि खाते से प्रदान की गई ऋण की ₹20,07,996 की प्रतिपूर्ति न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मिश्रित छात्र निधियों से बिजली, टैलिफोन व पानी की आपूर्ति के बिलों के भुगतान हेतु समय–समय पर अनियमित रूप से ऋण लिया गया था, जबकि इस प्रकार का भुगतान मिश्रित निधि से नहीं किया जा सकता था। संस्था द्वारा अंकेक्षण में यह बताया गया कि सरकारी बजट में राशि प्राप्त न होने के कारण यह भुगतान मिश्रित निधि से किया गया है तथा सरकार से राशि प्राप्त होने पर इसे छात्र निधि से जमा कर दिया जाएगा, परन्तु इस प्रकार के किए गए अनियमित व्यय की वर्ष 2009 से प्रतिपूर्ति हेतु लम्बित है। जिसकी सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1, दिनांक 14.1.2016 के अन्तर्गत संस्था से अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को ऋण की ₹20,07,996 प्रतिपूर्ति हेतु शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"2"** में दिया गया है। अतः मिश्रित निधि से ऋण स्वरूप किए जा रहे व्यय के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए और इस राशि की वसूली शीघ्र उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 अग्रिम के रूप में दी गई ₹1,02,959 का समायोजन न किया जाना

महाविद्यालय से विभिन्न छात्र निधियों से अलग–अलग कार्यों के लिए प्राध्यापकों, कर्मचारियों को अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है। अग्रिम रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को ₹1,02,959 समायोजन हेतु शेष पाई गई थी जिसका विवरण **परिशिष्ट–"3"** पर दिया गया है, जिसमें से कुछ एक अग्रिम राशियाँ अनेक वर्षों से समायोजन हेतु शेष पड़ी हुई है तथा संस्था द्वारा इन राशियों के समायोजन/वसूली हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इस प्रकार से अनेक वर्षों से प्रदान की गई अग्रिम राशियों की वसूली न करना तथा इनका निपटारा न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इन अग्रिम राशियों की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके इनका अविलम्ब समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए और भविष्य में दिए जाने वाली अग्रिम राशियों का समायोजन हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली अनुसार समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त दीघ्र काल से लम्बित अग्रिम राशियों के निपटारे हेतु अंकेक्षण का सुझाव है ऐसे कर्मचारियों/प्राध्यापकों जो कि संस्था से स्थानांतरित हो चुके हैं, से अग्रिम राशियों की वसूली के लिए मामला उनके वर्तमान आहरण एवं वितरण अधिकारी के साथ निदेशक शिक्षा विभाग के माध्यम से उठाया जाए ताकि कई वर्षों से बकाया/शेष अग्रिम राशियों की वसूली सुनिश्चित हो सके। उपरोक्त वर्णित प्रकरण निदेशक, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

14 मिश्रित निधि से ₹4800 का अनियमित एवं अनुचित भुगतान करना

निधि लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि वाऊचर संख्याः 211, दिनांक 22.9.2014 के अन्तर्गत छात्राओं की अनुपस्थिति विवरणी तैयार करने के लिए मिश्रित निधि से ₹4800 का भुगतान श्री गोपाल सरकेक को किया गया है जबकि मिश्रित निधि से इस प्रकार का मानदेय देने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश

विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स व सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मिश्रित निधि का उपयोग केवल छात्र/छात्राओं की गतिविधियों के लिए ही किए जाने का प्रावधान है। अतः सुझाव दिया जाता है कि मिश्रित निधि से अनियमित व अनुचित रूप से भुगतान की गयी ₹4800 के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा भुगतान की गई उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 गृह परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद से सम्बन्धित अनियमितताएं

वाऊचर संख्याः 188, दिनांक 9.9.2014 द्वारा मैं0 ललित प्रिन्टर, शिमला को उनके बिल संख्याः 058, दिनांक 14.8.2014 के एवज़ में ₹15000 उत्तर पुस्तिकाएँ छपवाने के लिए ₹51,188 का भुगतान किया गया था। उतर पुस्तिकाओं को छपवाने हेतु प्राप्त की गई निविदाओं की विस्तृत जाँच में पाया गया कि उपरोक्त फर्म की निविदा दर 4 पेज के लिए ₹1.50, 8 पेज के लिए ₹3.25, व 12 पेज का ₹4.25 थी। उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि यदि 4 पेज की उतर पुस्तिका की दर ₹1.50 रुपये थी, तथा 12 पेज की उतर पुस्तिका की दर ₹4.25 थी तो 8 पेज की उतर पुस्तिका की दर ₹3.00 या इससे कम होनी चाहिए थी। अतः उपरोक्त मामले में केवल 8 पेज की उतर पुस्तिकाओं की आपूर्ति की गई थी जिसकी दर संभवतः अधिक थी। यदि संस्था द्वारा 4 पेज अथवा 12 पेज की दर से सामने रखते हुए आपूर्ति करता से (Negotitation) की होती तो 8 पेज की उतर पुस्तिका की दर ₹3.00 या इससे कम हो सकती थी। अतः यह मामला संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 मिश्रित निधि से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भुगतान करना

व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह 6/2012, 12/2013, 9/2014 व 3/2016 के अंकेक्षण में पाया गया कि दैनिक वेतन की आधार पर कुछ कर्मियों को मिश्रित निधि से भुगतान किया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आर्डिनेंस में दिए गए प्रावधानानुसार छात्रों के हितों/कल्याण को ध्यान में रखते हुए केवल सीमित अवधि के लिए ही कर्मियों/प्राध्यापकों को नियुक्त किया जा सकता है अतः यह मामला संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाए कि क्या कर्मियों/प्राध्यापकों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आर्डिनेंस में दिए गए प्रावधानानुसार नियुक्ति किया गया अथवा नहीं। यदि कर्मियों/प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय आर्डिनेंस में दिए गए प्रावधानानुसार नियुक्ति नहीं किया गया है तो हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्याः फिन(सी)वी150–2/2009, दिनांक 30.9.2010 में दिए गए निर्देशानुसार नियुक्ति कर्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे व पूर्ण दायित्व नियुक्ति कर्ता का होगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि कर्मियों/प्राध्यापकों की नियुक्तियाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आर्डिनेंस में दिए गए प्रावधानानुसार व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार छात्र हितों में की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे।

17 महाविद्यालय की पत्रिकाओं के वितरण से सम्बन्धित अनियमितताएं

महाविद्यालय के पत्रिका के स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर में जितनी पत्रिकाओं की प्राप्ति जिस दिनांक/दिन को दर्शाई गई थी उसी दिन/दिनांक एक मुश्त ही छात्राओं को जारी/वितरित की गई दर्शाई गई है जो कि उचित प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि नियमानुसार छात्राओं को प्रतिदिन वितरित की गई पत्रिकाओं को स्टॉक लेखों से जारी करना चाहिए था, तथा अन्तशेष भी तदानुसार ही निकाला जाना चाहिए था। इस प्रकार से एक मुश्त ही पत्रिकाओं का वितरण बिना विवरण तैयार कर दिया जाना आपत्तिजनक है। इस प्रकार के मामलों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	स्टॉक पेज संख्या	प्राप्त की गई पत्रिकाओं की संख्या	जारी किए जाने की तारीख	एक मुश्त जारी की गई पत्रिकाएँ
1	156	4000	10.6.2012	4000
2	141	3300	12.4.2013	3300
3	141	3490	5.5.2014	3490
4	141	3700	8.4.2015	3700

अतः सुझाव दिया जाता है कि छात्राओं को प्रतिदनि स्टॉक लेखों से जितनी पत्रिकाएं वास्तव में वितरित की गई हे उनका विवरण तैयार करके तथा अन्तशेष भी तदानुसार ही निकाला जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 महाविद्यालय परिचय विवरणिका (Prospectus)

परिचय विवरणिका (Prospectus) की प्राप्ति व जारी/बिक्री से सम्बन्धित लेखे/स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप परिचय विवरणिका से सम्बन्धित लेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः सुझाव दिया जाता है कि परिचय विवरणिका (Prospectous) से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर व सम्बन्धित समस्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

19 रसीद बुक्स का नियम अनुसार स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना

संस्था द्वारा छपवाई गई रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जिससे छपवाई गई रसीद बुकों व उपयोग लाई गई रसीदों तथा शेष रसीद बुकों का सत्यापन नहीं किया जा सकां छात्राओं को जारी की गई रसीदों के अवलोकन में पाया गया कि संस्था में किसी भी संख्या की रसीद कभी भी स्वेच्छानुसार उपयोग में लाई गई थी जो कि नियमों की अवहेलना है तथा ऐसे में वित्तीय अनियमितता की सम्भावना बनती रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ एक रसीदों को बिना रसीद संख्याः के जारी किया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि रसीद बुकों के हस्तगत स्टॉक का क्रमवार/संख्यावार इन्द्राज करके ही इन्हें प्रयोग में लाया जाए ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर को निम्न प्रपत्र अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of receipt of Receipt Book	No. of Receipt Book received	Sr. No. of the Receipt Books	No. of forms in the Receipt Book referred to in Col. No. 3	Signature of the custodian of Receipt Book
1	2	3	4	5
Date of Issue of Receipt Books	Sr. No. of the Receipt Book issue	Signature of official to whom receipt book issued	Balance	
6	7	8	9	

20 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई थी।

21 **निष्कर्षः—** लेखों में विशेष सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(i)82/82—खण्ड—7—5764—5765 दिनांकः 05.11.2016
शिमला—09
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1) प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2) निदेशक, शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—171001

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट–"A"

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/1977 से 3/1983

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 4(ए), 4(बी)(1), 4(बी) (2 से 15), 4(सी), 4(डी), 4(जी से एम)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(बी से डी)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ए व बी)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(ए से एफ)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(ए व बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 10(ए से ई)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(ए व बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14(ए तथा बी)	अनिर्णीत
11	पैरा 15(ए से डी)	अनिर्णीत
12	पैरा 16	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 18(ए)	अनिर्णीत
15	पैरा 19	अनिर्णीत
16	पैरा 20	अनिर्णीत
17	पैरा 21	अनिर्णीत
18	पैरा 22(ए से डी)	अनिर्णीत
19	पैरा 23	अनिर्णीत
20	पैरा 24	अनिर्णीत
21	पैरा 25	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1987

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16(ए से सी), 16(आर), 16(ए से ई),16(क्यू से ज़ेड)	अनिर्णीत
12	पैरा 17(ए से आई)	अनिर्णीत
13	पैरा 18	अनिर्णीत
14	पैरा 19	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 21	अनिर्णीत
17	पैरा 22(ए से ई)	अनिर्णीत
18	पैरा 23(ए से सी)	अनिर्णीत

19	पैरा 24(ए,बी,सी, छात्रा निधि)	अनिर्णीत
20	पैरा 26	अनिर्णीत
21	पैरा 27(ए से जी)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1988

1	पैरा 4(बी)(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(ए व बी)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
8	पैरा 10	अनिर्णीत
9	पैरा 12(1 से 3)	अनिर्णीत
10	पैरा 14(1 से 3),14(5 से 8)	अनिर्णीत
11	पैरा 15	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1990

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 14	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 16	अनिर्णीत
14	पैरा 17	अनिर्णीत
15	पैरा 18	अनिर्णीत
16	पैरा 20	अनिर्णीत
17	पैरा 21	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1992

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8(1 से 4), 8(6 व 7)	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1994

1	पैरा 4	अनिर्णीत

2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7(1 से 4)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(5)(क,ख)(6)(व)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 25.2.1997

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 5(1 से 3)	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10	अनिर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 14	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 16	अनिर्णीत
14	पैरा 17	अनिर्णीत
15	पैरा 18	अनिर्णीत
16	पैरा 19	अनिर्णीत
17	पैरा 20	अनिर्णीत
18	पैरा 21	अनिर्णीत
19	पैरा 22	अनिर्णीत
20	पैरा 23	अनिर्णीत
21	पैरा 24	अनिर्णीत
22	पैरा 25	अनिर्णीत
23	पैरा 26	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 25.2.1997 से 3/2003

1	पैरा 4(3 व 4)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(4 व 5)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(3) से (5) व (7)	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(1),8(2)(क,ख),8(4 से 6 क,ख), 8(7 से 9),8(10 से 28)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(1 से 4), 9(6 से 8)	अनिर्णीत
7	पैरा 10(1 से 5)	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 14	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2006

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत
4	पैरा 16	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत
6	पैरा 20	अनिर्णीत
7	पैरा 21	अनिर्णीत
8	पैरा 22	अनिर्णीत
9	पैरा 25	अनिर्णीत
10	पैरा 26	अनिर्णीत
11	पैरा 27	अनिर्णीत
12	पैरा 28	अनिर्णीत
13	पैरा 34	अनिर्णीत
14	पैरा 35	अनिर्णीत
15	पैरा 36	अनिर्णीत
16	पैरा 37	अनिर्णीत
17	पैरा 38	अनिर्णीत
18	पैरा 39	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत
7	पैरा 16	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत
9	पैरा 20	आंशिक निर्णीत
10	पैरा 21	अनिर्णीत
11	पैरा 22	अनिर्णीत
12	पैरा 24	अनिर्णीत
13	पैरा 25	अनिर्णीत
14	पैरा 26	अनिर्णीत
15	पैरा 27	अनिर्णीत
16	पैरा 28	अनिर्णीत
17	पैरा 32	अनिर्णीत
18	पैरा 33	अनिर्णीत
19	पैरा 34	अनिर्णीत
20	पैरा 35	अनिर्णीत
21	पैरा 36	अनिर्णीत
22	पैरा 40	अनिर्णीत
23	पैरा 41	आंशिक निर्णीत
24	पैरा 42	आंशिक निर्णीत
25	पैरा 43	आंशिक निर्णीत
26	पैरा 44	अनिर्णीत

27	पैरा 45	अनिर्णीत	
28	पैरा 46	अनिर्णीत	
29	पैरा 47	अनिर्णीत	
30	पैरा 48	अनिर्णीत	
31	पैरा 49	अनिर्णीत	
32	पैरा 50	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2010

1	पैरा 4(4)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6	अनिर्णीत	
3	पैरा 7	अनिर्णीत	
4	पैरा 8(1 से 5)	अनिर्णीत	
5	पैरा 9(1 से 5)	अनिर्णीत	
6	पैरा 10(1 से 6)	अनिर्णीत	
7	पैरा 14	अनिर्णीत	
8	पैरा 15	अनिर्णीत	
9	पैरा 16(क,ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा 17	अनिर्णीत	
11	पैरा 18	अनिर्णीत	
12	पैरा 21	अनिर्णीत	
13	पैरा 22(1 व 2)	अनिर्णीत	
14	पैरा 24	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा 3	निर्णीत	
2	पैरा 4(i & ii)	निर्णीत	(दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अन्तशेष को सावधि जमा निवेश सहित ले लिया गया है व जिसका सत्यापन अभिलेख से कर लिया गया है।)
3	पैरा 4(iii to iv)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(i)	निर्णीत	(सावधि जमा निवेश की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में ले ली गई है)
5	पैरा 5(ii)	निर्णीत	(राशि ₹1,16,00,000 माह 5/2012 को सावधि जमा में निवेश किए गए हैं। अतः पैरा समाप्त किया जाता है।)
6	पैरा 5(iii)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में ले ली गई है।)
7	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में ले ली गई है।)
8	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में ले ली गई है।)
9	पैरा 8	निर्णीत	(दिए गए उत्तर का अवलोकन करने के उपरान्त पैरा समाप्त किया जाता है।)
10	पैरा 9	अनिर्णीत	
11	पैरा 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में ले ली गई है।)
12	पैरा 11	अनिर्णीत	
13	पैरा 12(i to iv)	अनिर्णीत	
14	पैरा 13(i to ii)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर व अभिलेख का अवलोकन करने

			के उपरान्त पैरा समाप्त किया जाता है।)
15	पैरा 13(iii)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पैरा समाप्त किया जाता है।)
16	पैरा 14(i to ii)	अनिर्णीत	
17	पैरा 14(iii)	निर्णीत	(दिए गए उतर का अवलोकन करने के उपरान्त पैरा समाप्त किया जाता है।)
18	पैरा 14(iv)	निर्णीत	(दिए गए उतर का अवलोकन करने के उपरान्त पैरा समाप्त किया जाता है।)
19	पैरा 14(v)	निर्णीत	(दिए गए उतर व स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने के उपरान्त पैरा समाप्त किया जाता है।)
20	पैरा 15(i)	निर्णीत	(दिए गए उतर का अवलोकन करने के उपरान्त पैरा समाप्त किया जाता है।)
21	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत	
22	पैरा 16(i to iii)	अनिर्णीत	
23	पैरा 17	निर्णीत	(दिए गए उतर का अवलोकन करने के उपरान्त पैरा समाप्त किया जाता है।)
24	पैरा 18	अनिर्णीत	